

पांच बड़े आईपीओ में सिर्फ जियो ने पहले दिन ज्यादा मुनाफा दिया

रिकॉर्ड

नई दिल्ली, एजेंसी। देश के सबसे बड़े आईपीओ के जरिए बाजार में उतरी जियो ने पहले ही दिन निवेशकों को मोटा मुनाफा देकर नया रिकॉर्ड बना दिया। बाजार में उतरे देश के अब तक के पांच बड़े आईपीओ में से पहले दिन सबसे अधिक 27 फीसदी का मुनाफा जियो के शेयरों ने निवेशकों को दिया है।

इससे पहले जो पांच बड़े आईपीओ बाजार में उतरे थे, उनका प्रदर्शन पहले दिन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था। इनमें हुंडई मोटर इंडिया, नेशनल स्टील इक्विपमेंट, एलआईसी और पेटोएम जैसी बड़ी कंपनियां

शामिल हैं। पेटोएम का शेयर तो सूचीबद्ध होने के बाद 27 फीसदी तक लुढ़क गया था। इससे निवेशकों को काफी निराशा हुई थी।

दूसरी बड़ी कंपनी बनी : इसके उलट बुधवार को जियो का शेयर 1,119 रुपये से उछल 1,419 रुपये पर पहुंच गया, जो आईपीओ मूल्य से 26.81 फीसदी अधिक है। इस तरह निवेशकों को प्रति शेयर 300 रुपये का फायदा हुआ। शेयर में आई इस जोरदार तेजी से कंपनी का बाजार पूंजीकरण करीब 7.6 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 13.07 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इसके साथ ही जियो प्लेटफॉर्मस बाजार पूंजीकरण के लिहाज से देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई।

मेगा आईपीओ में पहले दिन कितना उतार-चढ़ाव रहा

कंपनी	आईपीओ साइज	आईपीओ मूल्य	मुनाफा
जियो प्लेटफॉर्मस (2026)	30,213 करोड़	1,119	26%
हुंडई मोटर इंडिया (2024)	27,870 करोड़	1,960	-7.2%
एनएसई (2026)	22,562 करोड़	1,785	+1.85%
एलआईसी (2022)	20,557 करोड़	949	-7.75%
पेटोएम (2021)	18,300 करोड़	2,150	-27.25%

और तेजी की उम्मीद

विदेशी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा का मानना है कि जियो अब सिर्फ नए उपभोक्ता जोड़ने के बजाय मौजूदा ग्राहकों से ज्यादा कमाई करने के चरण में प्रवेश कर रही है। इसका फायदा आगे कंपनी को मिल सकता है। वहीं, अन्य प्रमुख ब्रोकरेज कंपनियों ने जियो के शेयरों में 1,690 रुपये तक की तेजी की उम्मीद जताई है।

बाजार के लिए मायने

विश्लेषकों का कहना है कि जियो के आईपीओ को इतनी अच्छी प्रतिक्रिया मिलना बाजार के लिए अच्छा है। इससे नई शुरुआत हो सकती है, जिसमें बड़ी कंपनियां आपंगी और बड़े निवेशकों को आकर्षित करेंगी। इससे निवेशकों का भरोसा मजबूत होगा, साथ ही आने वाले समय में बाजार की क्षमता को लेकर सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं।



मुंबई स्थित एनएसई के कार्यक्रम में बुधवार को जियो प्लेटफॉर्मस के सूचीबद्ध होने के मौके पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के साथ नीता अंबानी, आकाश अंबानी, ईशा अंबानी और अनंत अंबानी मौजूद रहे।● एएफपी

समारोह में

भावुक हुआ

अंबानी

परिवार

जियो प्लेटफॉर्मस के सूचीबद्ध होने का मौका अंबानी परिवार के लिए भावुक पल भी रहा। इस मौके पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के साथ नीता अंबानी, आकाश अंबानी, ईशा अंबानी और अनंत अंबानी मौजूद रहे। जियो प्लेटफॉर्मस के प्रबंध निदेशक आकाश अंबानी ने कहा कि जियो का सूचीबद्ध होना मंजिल नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है।

सहूलियत: सीधे घर पर पार्सल पहुंचाएगा रेलवे

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय रेलवे जल्द ही सीधे घर पर पार्सल पहुंचाने की सुविधा शुरू करने का रहा है। इस सेवा के तहत ग्राहक मोबाइल ऐप के जरिए पार्सल बुक कर सकेंगे। इसके बाद बुक हुआ सामान इनके घर से उठाया जाएगा और जिस पते पर भेजना है, वहां सीधे पहुंचा दिया जाएगा। इससे लोगों को पार्सल भेजने के लिए रेलवे स्टेशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

बताया जा रहा है कि इस योजना का पायलट परीक्षण सफल रहा है, जिसके बाद इसे बड़े स्तर पर लागू करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। शुरुआत में यह सेवा देश के आठ प्रमुख शहरों में शुरू की जा रही है। इनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलूर और पुणे शामिल हैं। इस सुविधा का लाभ आम लोगों के साथ छोटे कारोबारियों और ऑनलाइन विक्रेताओं को मिलेगा। ग्राहक रेल पार्सल ऐप के जरिए बुकिंग और ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे।

रेलवे ने अपनी इस खास सुविधा के लिए 'रेल पार्सल ऐप-घर से घर तक' तैयार किया है। इसे डिजिटल मार्केटप्लेस की तरह बनाया गया है, जो

ऐसे काम करेगी यह नई व्यवस्था



ट्रेन खाना होने से 15 दिन पहले बुकिंग शुरू होगी

मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक, पार्सल की बुकिंग ट्रेन खाना होने से 15 दिन पहले शुरू हो जाएगी। ग्राहक ट्रेन छूटने से एक दिन पहले तक बुकिंग कर सकेंगे। रेलवे के नियमों के अनुसार, बाइक, कार, फर्नीचर, घरेलू उपकरण और कारोबार से जुड़ा सामान भी भेजा जा सकता है।

ग्राहकों को सीधे चुनिंदा सामान पहुंचाने वाली (लॉजिस्टिक्स) कंपनियों से जोड़ेगा। ग्राहक ऐप पर ही बुकिंग कर सकेंगे और वहीं से ऑनलाइन भुगतान

यह व्यवस्था कई हिस्सों में होगी। पहले कंपनियां ग्राहक के घर से सामान उठाएंगी और बुकिंग वाले रेलवे स्टेशन तक पहुंचाएंगी। वहां से रेलवे जिस शहर में सामान भेजा जाना है, उसके गंतव्य स्टेशन तक उसे पहुंचाएगा। फिर वहां से कंपनी ही आगे सामान तय पते पर सामान पहुंचाएगी। इतना ही नहीं लॉजिस्टिक्स कंपनियां ग्राहकों को सामान की पैकेजिंग जैसी अन्य जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध करा सकती हैं।

ग्राहक ने बुकिंग रद्द की तो क्या होगा...

अगर ग्राहक पार्सल उठाए जाने से पहले बुकिंग रद्द करता है तो रेलवे के हिस्से का पूरा मालभाड़ा वापस किया जाएगा। इसमें 10 रुपये शुल्क काटा जाएगा। हालांकि, घर से पार्सल उठाने और गंतव्य तक पहुंचाने के शुल्क का रिफंड संबंधित लॉजिस्टिक्स कंपनी के नियमों के अनुसार होगा।

हो जाएगा। इस व्यवस्था में घर से पार्सल उठाने और गंतव्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी रेलवे द्वारा चुनी गई सामान पहुंचाने वाली कंपनियों की होगी।

मोबाइल प्रोत्साहन योजना से लाभ हुआ

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को बताया कि मोबाइल फोन उद्योग की प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) से कुल 3.25 लाख करोड़ रुपये का कर राजस्व प्राप्त हुआ है और करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है।

एक रिपोर्ट में भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स-मैन्युफैक्चरिंग पर उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने सोशल मीडिया में 'एक्स' पर यह आंकड़े साझा किए। वैष्णव ने कहा कि इस प्रोत्साहन योजना से सरकार और अर्थव्यवस्था को काफी फायदा हुआ है।

भारत-मेक्सिको ने करार के लिए बातचीत शुरू की

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत और मेक्सिको ने आर्थिक संबंधों को नई मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वरीयतापूर्ण व्यापार समझौते (प्रीफ़ेरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट-पीटीए) के लिए औपचारिक रूप से वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देशों ने इसके लिए संदर्भ शर्तों (टीओआर) पर हस्ताक्षर किए।

इन्में समझौते की व्यापक रूपरेखा तय की गई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बुधवार को यह

जानकारी दी। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल और मेक्सिको के विदेश व्यापार उपमंत्री लुइस रोसेन्दो गुटिरेज़ रोमानो ने संयुक्त रूप से इन शर्तों पर हस्ताक्षर किए।

इन क्षेत्रों को फायदा संभव : प्रस्तावित भारत-मेक्सिको व्यापार समझौते से भारतीय निर्यातकों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसमें ऑटोमोबाइल, टेक्स्टाइल, फुटवियर, प्लास्टिक, स्टील, रसायन और खिलौना उद्योग जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।

कार्यालय-नगर पालिका परिषद् दादरी, जनपद-गौतमबुद्धनगर

पत्रांक- 1308/न०पा०परि०दा०/ई०न०सि०/2026-27

दिनांक:- 28 अक्टूबर, 2026

ई-निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद्, दादरी क्षेत्रान्तर्गत राज्य वित्त आयोग/निकाय कोष के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से शीतलहर के दृष्टिगत विभिन्न स्थानों पर अलाव जलाने हेतु जलौनी लकड़ी आपूर्ति कार्य हेतु ई०-निविदा आमंत्रित की जाती है। इस हेतु ई-निविदा दिनांक:- 29.10.2026 से दिनांक:- 19.11.2026 तक ऑनलाइन वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> पर प्राप्त: 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक डाउनलोड कर अपलोड की जा सकती हैं। ई-निविदा के सम्बन्ध में निविदादाता कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उक्त कार्यों की निविदा दिनांक:- 20.11.2026 अपराह्न 12:30 बजे खोली जायेगी, जिसे सम्बन्धित वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> पर देखा जा सकता है।

किसी भी ई-निविदा को खोकार एवं अखीकार करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा। निविदा शुल्क एवं जमानत धनराशि अर०डी०जी०एस०/एन०ई०एफ०टी० के माध्यम से नगर पालिका परिषद दादरी के **खता संख्या 50100065525653** एच०डी०एफ०सी० बैंक शाखा-दादरी **IFSC Code-HDFC0000927** में जमा करावी जायेगी, जिसकी मूल प्रति सम्बन्धित डेकेदारों द्वारा टेण्डर अपलोड करते समय अपलोड की जायेगी। बिना धरोहर धनराशि के निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। कार्य से सम्बन्धित नियम व शर्त कार्यालय नगर पालिका परिषद दादरी में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में देखा जा सकता है।

(उमेश शर्मा)	(जयपाल सिंह)	(शालिनी गुप्ता)	(गीता शर्मा)
लिपिक	अवर अभियन्ता, (सिविल)	अधिशास्त्री अधिकारी	अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद दादरी, गौतमबुद्धनगर	नगर पालिका परिषद दादरी, गौतमबुद्धनगर	नगर पालिका परिषद दादरी, गौतमबुद्धनगर	नगर पालिका परिषद दादरी, गौतमबुद्धनगर

आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा दक्षिण दिल्ली

4वां तल, 7, भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली-110066 ईमेल: cs4168@pnb.bank.in

अचल सम्पत्तियों की ई-नीलामी हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विधय नोटिस. आम जनता को ताथा विविध रूप से उधारकर्ता(ओं) एवं गारंटर(ओं) को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि सुरक्षित लेनदार के पास बंधक / प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्तिया, जिनका रचनात्मक / भौतिक / सांकेतिक कब्जा बैंक / सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को बिक्री नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि को **"जहाँ है जैसा है", "जो है जैसा है",** तथा **"जो कुछ भी यहाँ है"** के आधार पर संबंधित उधारकर्ता(ओं) एवं गारंटर(ओं) से बैंक / सुरक्षित लेनदार के बकाये की वसूली के लिए की जाएगी। आरक्षित मूल्य एवं बयाना राशि (ईएमडी) संबंधित संपत्तियों के सामने नीचे दी गई तालिका में दर्जानुसार होगी।

प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री की अनुसूची

क्र. सं.	शाखा का नाम: खाते का नाम: उधारकर्ता /गारंटर/ खाते का नाम और पता:	बंधक रखी गई अचल संपत्ति का विवरण/ मालिक का नाम (संपत्तियों का बंधककर्ता)	(A) सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि (B) बकाया राशि (C) सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा की तिथि (D) कब्जा की स्थिति सांकेतिक/ भौतिक / रचनात्मक	(A) आरक्षित मूल्य (B) ईएमडी (C) बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि एवं समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात एन्कम्ब्रेन्स का विवरण	प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं नं.
1.	(पूर्व में ए-ब्लॉक, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली) मैसर्स मनोरी आइसक्रीम (उधारकर्ता) ई-94, जीएफ, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048 मेसर्स मनोरी आइसक्रीम, प्लॉट नंबर-42, औद्योगिक क्षेत्र फूड पार्क, मनोरी जिला मंडला (एमपी)- 481885 सुश्री अनापिका मितल, (मालिक) एच नंबर- ई-94, जीएफ, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048	सांथिक बंधक /पंजीकृत बंधक परियोजना भूमि एवं भवन पर, क्षेत्रफल 3300 वर्ग मीटर, प्लॉट सं. 42, फूड पार्क-मंडला, मनोरी, जिला मंडला में स्थित (मैसर्स मनोरी आइसक्रीम के नाम पर एक नामित फूड पार्क जवलपुर, मध्य प्रदेश, उपरोक्त इकाई में प्लांट एवं मशीनरी के साथ संपत्ती आईडी PUNBABA37922768 अक्षांश: 23.100513 देशांतर: 80.208699	A) 09.05.2022 B) Rs. 544.47 लाख + ब्याज + प्रभार इत्यादि C) 14.12.2022 D) भौतिक	A) रु. 303.41 लाख B) रु. 30.35 लाख ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 16.11.2026 C) रु. 1,00,000	17.11.2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपाह्न 04.00 बजे	संपत्ति की बिक्री पर कोई एसाए लंबित /रोक नहीं है	श्री ओ.पी. भालोटिया 9453035426
2.	पीएनबी शाखा ओखला एनएसईसी (066200), नई दिल्ली मैसर्स जेनुइन इंटर्नेशनल सीसी खाता सं. 307808700001741 और सीसी खाता 4370006700001143 मेसर्स जेनुइन इंटर्नेशनल, के गणेश के माध्यम से, पते ए- 292, द्वितीय तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज 1, पुलिस स्टेशन के पास, दिल्ली-110020, 416/2, गांव और पोस्ट ऑफिस पिटोदानी, एम जी रोड, दिल्ली-110030 • 165 गली नं. 2, कपासहेड़ा, नई दिल्ली-110037 • 365, आइस फैक्ट्री के पास, कपासहेड़ा, नई दिल्ली-110037 • खसरा नं. 156, चंदनहोला, नई दिल्ली-110074 • डी-88/3, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज 1, दिल्ली-110020 • सी-04, झींदीर रोड, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज 1, दिल्ली-110020 • प्लॉट नं. 42, सिडको औद्योगिक एस्टेट, रानीपेट, वलजा तालुक, वेल्लोर जिला-632403 चेन्नई • श्री के गणेश पुत्र बी कानन प्लॉट नं. 104/एएफएफ केएच नं. 788 गली नं. 6डी के ब्लॉक मलिकपुर कोडी अलीसे रंगपुरी दक्षिण पश्चिम दिल्ली-110037 • श्री के गणेश पुत्र बी कानन दरवाजा नं. 429/1 फेज 1 भारतीय नगर बस्तरा नगर सखुवाचारी, वेल्लोर-9, चेन्नई श्री एन अजीज रहमान (गारंटर) पते • दरवाजा नं. एच4, पुराना हाउसिंग बोर्ड, सिपकोट, रानीपेट, जिला वेल्लोर चेन्नई-632403 • मकान नं. 4, टीएनएचबी कार्टर, सिपकोट, रानीपेट-632403 • पुराने थिरुथानी रोड एक्सटेंशन का उत्तर पूवी छोर (अनंतलाई गांव के एस नं. 669 / 1ए, 669/ 2ए) मेलपुदुपेट, वलजा तालुक, वेल्लोर जिला - 632513 • दरवाजा नं. 114, पुराना हाउसिंग बोर्ड, सिपकोट, रानीपेट, जिला वेल्लोर, चेन्नई-632403 • एस5 /525, अमीन अमरटेंड अईओबी नगर, सिपकोट, रानीपेट औद्योगिक क्षेत्र वेल्लोर, तमिलनाडु-632403	सांथिक बंधक /पंजीकृत बंधक परियोजना भूमि एवं भवन पर, क्षेत्रफल 3300 वर्ग मीटर, प्लॉट सं. 42, फूड पार्क-मंडला, मनोरी, जिला मंडला में स्थित (मैसर्स मनोरी आइसक्रीम के नाम पर एक नामित फूड पार्क जवलपुर, मध्य प्रदेश, उपरोक्त इकाई में प्लांट एवं मशीनरी के साथ संपत्ती आईडी PUNB4LA26644976 अक्षांश: 12.57431 देशांतर: 79.118117	A) 08.04.2019 B) रु. 235.53 लाख + ब्याज एवं खर्च C) 20.12.2019 D) सांकेतिक	A) रु. 86.00 लाख B) रु. 8.60 लाख ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 16.11.2026 C) रु. 1,00,000	17.11.2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपाह्न 04.00 बजे	एक एसाए लंबित है, लेकिन IP की बिक्री पर कोई रोक नहीं है।	श्री ओ.पी. भालोटिया 9453035426
3.	शाखा: महारौली रोड, हौज खास (309300) मैसर्स जैन ग्रह उद्योग प्राइवेट लिमिटेड खाता संख्या 30930090000000174 पता- मैसर्स जैन ग्रह उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, ए-320 तीसरी मंजिल, असेल चौब-1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 इसके अलावा: मैसर्स, जैन ग्रह उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, 39 मिशन कंयाउड रोड, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश- 274001, इसके अलावा: मैसर्स जैन ग्रह उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, 144, पहली मंजिल, असेल चौब-2 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 इसके अलावा: श्री रूपक कुमार (निदेशक और गारंटर), मकान संख्या 924, प्लॉट संख्या 204, सुसंग मंजिल, ब्लॉक-सी-2, पारलम विहार, बीटीसी-110066 (62), गुरुग्राम-122017, हरियाणा, इसके अलावा: श्री विकास शर्मा (निदेशक और गारंटर), ई-1408, मीग की ताल के पास, एनआईटी फरीदाबाद, डबुआ कॉलोनी, फरीदाबाद-121001, हरियाणा, इसके अलावा: श्री अश्विनी कुमार मलिक, सी-63, पहली मंजिल, फ्रेंड्स कॉलोनी ईस्ट, नई दिल्ली-110065 (गारंटर), 6. सुश्री पूजा, निवासी 1728 एन ब्लॉक, रातो संख्या-7, विजय एन्क्लेव, डबरी, दक्षिण पश्चिम, दिल्ली-110045 (गारंटर), इसके अलावा: सुश्री प्रभा जैन, 39 मिशन कंयाउड, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश- 247001 (गारंटर)।	वाणिज्यिक इकाई संख्या C -G-05, भूतल पर स्थित, सुपर एरिया 6754 वर्ग फुट (627.46 वर्ग मीटर), "अर्बन स्क्वायर" नामक वाणिज्यिक भवन में, जो गांव घाटा, सेक्टर-62, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है जो अश्विनी कुमार मलिक के नाम पर है। प्रॉपर्टी आईडी: PUNBJA62563448 अक्षांश: 28.245146 देशांतर : 77.51702	A) 14.05.2026 B) रु. 7.70 करोड़ C) 22.07.2026 D) सांकेतिक	A) रु. 08.50 करोड़ B) रु. 0.85 करोड़ ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 16.11.2026 C) रु. 5.00 लाख	17.11.2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपाह्न 04.00 बजे	एक एसाए लंबित है, लेकिन संपत्ती की बिक्री पर कोई रोक नहीं है।	श्री ओ.पी. भालोटिया 9453035426

ई-नीलामी बिक्री के संक्षिप्त नियम एवं शर्तें : बिक्री, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में वर्णित नियमों के अधीन होगी। 1. नीलामी बिक्री "ई-नीलामी" पोर्टल <https://baanknet.com> के माध्यम से ऑनलाइन होगी। (2) ई-नीलामी के लिए प्लेटफॉर्म (<https://baanknet.com>) ई-नीलामी सेवा प्रदाता मेसर्स पीएसए एलायंस प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय सूचित 1, तीसरी मंजिल, VIOS कर्माश्रित टावर, वडाला टुक टर्मिनल के पास, वडाला ईस्ट मुंबई-400037 (हेल्पडेस्क नं.91 8291220220, द्वारा प्रदान किया जाएगा। इष्टुकु बोलीदाताओं/ खरीदारों को ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाइट <https://baanknet.com> पर ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना आवश्यक है। यह सेवा प्रदाता पोर्टल पर ई-नीलामी पर ऑनलाइन दर्शन/ प्रक्षिणण भी प्रदान करेगा। (3) बिक्री की सामान्य शर्तों और नियमों से युक्त बिक्री नोटिस निम्नलिखित वेबसाइटों/ वेब पेज पोर्टल (1)<https://baanknet.com> (2)www.pnbIndia.in पर उपलब्ध / प्रकाशित है। (4) राफेल बोलीदाता द्वारा बैंक को बिक्री प्रतिकूल का भुगतान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194-1ए के अंतर्गत टीडीएस के अधीन होगा तथा राफेल बोलीदाता द्वारा बोली राशि का शेष 75% जमा करने / बोली राशि की पूर्ण जमा करने के समय ही टीडीएस का भुगतान किया जाना है। (5) संपत्तियों को "जहां है जैसी है" और "जो है जैसी है" तथा "जो भी है जैसी है" के आधार पर बेचा जा रहा है। (6) उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोच्च जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए पूर्ण ज़िम्मेदार नहीं होगा। (7) सरफासी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत नोटिस, और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ सभी मामलों में जारी किया गया है। (8) बिक्री की विस्तृत शर्तों के लिए, कृपया <https://baanknet.com> and www.pnbIndia.in देखें।

दिनांक : 28.10.2026, स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक